

# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 175, दिनांक 11-06-2024

**विगत 16 वर्षों से पुलिस अभिरक्षा से फरार, हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर गिरफ्तार।**

दिनांक 11-06-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत 16 वर्षों से पुलिस अभिरक्षा से फरार हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर राम, पुत्र राम करन मिश्रा, निवासी महाराजगंज मिसिर गंजा, थाना हरैया, जनपद बस्ती।

## बरामदगी:-

01 अदद मोबाइल फोन।

## गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक:-

कैण्ट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 09 के पीछे, थाना कैण्ट जनपद वाराणसी। दिनांक 11-06-2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक पुनीत परिहार एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि विगत 16 वर्षों से पुलिस अभिरक्षा से फरार हत्याकाण्ड में आजीवन कारावास का सजायाफता व 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत कैण्ट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 09 के पीछे मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर उक्त टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर सुरेश मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका सगे पट्टीदार रामाशीष मिश्रा से जमीन सम्बन्धी विवाद काफी समय से चला आ रहा था। दिनांक 12-02-2001 को बांस काटने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिस दौरान इसने रामाशीष के पक्ष से आये विनोद मिश्रा पुत्र गजराज मिश्रा की चाकू मारकर हत्या कर दिया था। इस संबंध में जनपद बस्ती के थाना हरैया पर मु0अ0सं0 47/2001 धारा 302/ 323/504 भादवि सुरेश मिश्रा व इसके भाई रामसागर मिश्रा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस लोमहर्षक हत्याकाण्ड में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24-03-2007 को अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड

से दण्डित किया गया था और इसे केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध किया गया था। वर्ष 2008 में इसे पीलिया रोग हो गया, जिसके ईलाज के लिये जेल सुरक्षा कर्मियों की अभिरक्षा में राजकीय मण्डलीय चिकित्सालय कबीरचौरा थाना कोतवाली जनपद वाराणसी में भर्ती कराया गया था। दिनांक 09-10-2008 को यह उक्त अस्पताल से फरार हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 255/2008 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत हुआ था। फरार होने के उपरान्त यह दिल्ली जाकर लाल बहादुर राम के नाम से रहने लगा तथा वहीं पर राजगीर का काम करने लगा। फरार होने के उपरान्त अपना नाम-पता बदल-बदल कर भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहने लगा।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित कर तलाश की जा रही थी, परन्तु काफी प्रयास के उपरान्त भी अभियुक्त सुरेश मिश्रा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज दिनांक 11-06-2024 को अपने निजी काम से वाराणसी आया था, जिसे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर राम को मु0अ0सं0 255/2008 धारा 223/224 भादवि में थाना कोतवाली, जनपद वाराणसी में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।